'सक्षम'

TRAINING THE PARALEGALS

COMMONWEALTH HUMAN RIGHTS INITIATIVE
55 A, Third Floor, Siddhartha Chambers-1, Kalu Sarai
New Delhi - 110016
T +91 11 43180200, F + 91 11 2686 4688
info@humanrightsinitiative.org

dkWeu oSYFk g;weu jkbZV bfuf'k,Vho ¼lh,pvkjvkbZ½

fof/kd {kerk laof/kZu dk;Z'kkyk

frfFk 4&6] vDVwcj 2013

dsUnzh; dkjkxkg tks/kiqj

प्रतिभागी

1) केन्द्रीय कारागार जोधपुर के अधीक्षक श्री राकेश मोहन शर्मा।
2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री तनसिंह चारण
3) श्री मुकेश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर, जोधपुर
4) इन्टरनेशल ब्रीजेस जस्टिस: श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय
5) सीएचआरआई के प्रतिभागी
    i. सना दास
    ii. सुगन्धा माथुर
    iii. राजा बग्गा
    iv. रंजनासिंह मेड़तिया
    v. लक्ष्मी रामावत

dk;Z'kkyk dk mís';

उपरोक्त सभी के सहयोग से विधिक क्षमता संवर्धन कार्यशाला 4 से 6 अक्टूबर 2013 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्देश्य कारागृह में रह रहे बंदियों को कानूनी सहायताएं, निः शुल्क कानूनी सहायताएं मिलने की जानकारी देना और उन्हें डीएलएसए से निः शुल्क अधिवक्ता दिलवाना था। इस कार्यशाला के द्वारा बंदियों को कानून की जानकारी और विचाराधीन व्यक्तियो के अधिकारो की रक्षारू गिरफ्तारी के अधिकार, जमानत के बारे में अधिकार, सौदा अभिवाक तथा आवधिक समीक्षा समिति के बारे में सूचना और सिद्व दोष व्यक्तियों के अधिकारो की रक्षा रू माफी पद्वति, अपील एवं याचिकाओ का पारेषण, पैरोल प्रारूप, खुली हवा शिविर रिव्यू इत्यादि की जानकारी देने का प्रयत्न किया गया।

iFke fnu 'kØokj 4 vDVEcj 2013

इन तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन जेल के अन्दर के कम्युनिटी हॉल में किया गया था। कार्यशाला के प्रथम दिन का प्रारंभ श्री राकेश मोहन शर्मा,अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार जोधपुर के द्वारा किया गया। उन्होंने बन्दियों का एवं सभी आगुन्तकों का स्वागत किया एवं डीएलएसए ,सीएचआरआई व आईबीजे को जोधपुर केन्द्रीय कारागृह के बन्दियों के सहायतार्थ कार्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

सीएचआरआई द्वारा सभी को अध्ययन सामग्री, जिसमें रजिस्टर, क्रिमिनल मेजर एक्ट, जमानतीय अपराध की लिस्ट इत्यादि शामिल थी,वितरित की गयी । इस दिन **20** पैरा लीगल-वॉलन्टियर कार्यशाला में आये जिन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन किया ।

श्री तनसिंह जी चारण ने विधिक सहायता समिति और जेल में पैरालीगल वॉलन्टियर के कार्यो के बारे में सभी बंदियों को बताया । उन्होंने बताया की जिन बंदियों के पास में अधिवक्ता नही है उन्हें डीएलएसए से तुरन्त अधिवक्ता उपलब्ध करवायें जायेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में महिला सेल में सुश्री मीना कुमारी अधिवक्ता और पुरूष सेल में श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पैरालीगल वॉलन्टियर के साथ नियुक्त किया गया है जो जेल में आकर वहां के बंदियों की समस्या का निवारण करेंगे । श्री आमेन्द्र भारद्वाज ए डी.जी. राजस्थान कारागार उक्त दिन कार्यशाला में नही पहुंच पाये।

आई.बी.जे की तरफ से अजय वर्मा ने इस कार्यशाला की शुरूआत में "बोल बसंतो" नामक टेलीविजन प्रोग्राम दिखाकर बंदियों को कानून का अर्थ समझाने की कोशिश की । इसके पश्चात् अधिवक्ता अजय वर्मा ने पी.पी.टी. के माध्यम से विभिन्न प्रणाली अथवा हर चरण में संविधान के द्वारा दिये अधिकारो के बारे में बंदियो को बताया।

उन्होंने ये सब चीजें दिखाकर कार्यशाला में मौजूद बंदियों से उनके अनुभव के बारे में पूछा। तब, बंशी और भंवरलाल ने अपने अनुभव सभी के समक्ष प्रस्तुत किये। दोनों ने बताया कि उन्हें बिना कुछ बताये पुलिस पकड ले गयी और उनके परिवारवालों को सूचना भी नही दी गई। बंदियों ने कहा कि जब उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें कानून के बारे में कोई जानकारी नही थी कि उन्हें क्यों पकडा गया और अब क्या करना चाहिये। लेकिन अधिवक्ता श्री अजय वर्मा ने बताया किः-

- सर्वप्रथम एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जांच एजेन्सियों द्वारा जांच की शुरूआत होने और सबूतों को इकट्ठा करने के पश्चात किसी भी अवस्था पर जांच द्वारा आरोप तय किये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष **24** घण्टों के अन्दर पेश किया जाता है,
- न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है
- जमानत की सुनवाई होती है
- चालान पेश किया जाता है
- आरोप सुनाया जाता है,
- साक्ष्य होती है
- अभियुक्त के बयान होते है
- साक्ष्य सफाई होती है,
- अंतिम बहस और निर्णय होता है

यदि वकील उपलब्ध न हो तो वकील दिलवाया जाता है। जोधपुर सेन्ट्रल जेल में हमारे लीगल एड क्लिनिक 'स्वाधिकार', में बंदियो से वार्तालाप करके हमने पाया कि कहीं बंदियो के पास वकील नहीं थे और जिनके पास वकील थे वे बंदी से बहुत कम मिलने आते हैं तथा जब मिलते हैं तो बंदी की बात सुनते नहीं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अजय वर्मा और सुगंधा ने बंदियों के बीच अधिवक्ताओं और मुव्वकिल के संबध के बारे में कव्वाली के माध्यम से चर्चा की जिसमे एक बंदी पक्ष अधिवक्ता बना तो दूसरा बंदी पक्ष मुव्वकिल बना। दोनों ने निम्नलिखित प्रश्न-उत्तर कव्वाली के दौरान किये।

प्रश्न **1**	मै गरीब हूं। मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया है। वकील साहब, मेरी जमानत करवाओ।
उत्तर-	अपने रिश्तेदार को फीस सहित मेरे पास भेज देना, मैं आपकी जमानत करवा दूंगा।
प्रश्न **2**	मुझे पेशी पर लेकर नहीं जाते हैं।
उत्तर-	तो तुम्हें पेशी पर आने की कहां जरूरत है? मैं हूँ ना तुम्हारा केस सम्भालने के लिये।
प्रश्न **3**	वकील साहब मेरे केस का क्या हुआ ?
उत्तर-	मेरे मुंशी से आकर मिल लेना।
प्रश्न 4	मुझे जमानत कब मिलेगी, आपने अभी तक मेरी फाईल नहीं पढी क्या, मेरी जमानत की दरख्वास्त अर्जी कब लगाओगे ?
उत्तर	मैंने फाईल पढ़ ली है लेकिन अच्छे जज की बैंच नहीं है इसलिये अर्जी नही लगायी।
प्रश्न 5	मेरे पास पैसा नहीं है, मैने अपनी जमीन बेचकर आपको फीस दी है लेकिन आप मेरे केस का ध्यान नहीं रख रहे हो।
उत्तर	मेरे पास और भी कई केस हैं। आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी फाईल लेकर चले जाओ।

इसके पश्चात् आवधिक समीक्षा समिति पर सुगन्धा माथुर और श्री मुकेश, सीएमएम, जोधपुर ने चर्चा की। सुगंधा माथुर ने आवधिक समीक्षा समिति के बारे में भी बंदियों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि आवधिक समीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, जिला परीवीक्षा अधिकारी, भारसाधक अधिकारी, जिला कारावास के सदस्य होते है । उन्होंने बंदियों को आवधिक समीक्षा समिति का प्रोफार्मा क,ख,ग,घ, कैसे भरते हैं इसके बारे में बताया एवं जमानत के लिये प्रार्थना-पत्र और पेरोल के बारे में भी बताया। सुगन्धा माथुर ने समिति के अन्तर्गत न्यायिक प्रावधानो के बारे में बताया । सुगन्धा ने बंदियों को बताया कि जब मजिस्ट्रेट के पास **24** घण्टे के अन्दर अभियुक्त को भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो, तो अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसी कि वहां मजिस्ट्रेट ठीक समझे, कुल मिलाकर **15** दिन से अधिक की अवधि के लिए निरूद्ध नहीं किया जाना चाहिए और मैजिस्ट्रेट इसे समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक अवधि तक निरूद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है । सुगन्धा ने यह बताया कि अगर किसी अपराध के लिए सज़ा दस साल से कम है और ऐसे अपराध की जांच पुलिस के द्वारा 60 दिन के अंदर पूरी नही होती तो आरोपी को जमानत पर छूटने का अधिकार मिल जाता है और ऐसे अपराध जिनमें सजा के तौर पर फांसी या उम्रकैद या दस वर्ष से अधिक की कैद का प्रावधान है, उनमें यदि पुलिस के द्वारा जांच नब्बे दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है और यदि किसी की जमानत रद्द हो जाती है तो वह ऊंची अदालत में आवेदन कर सकता है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मुकेश जी ने आवधिक समीक्षा समिति के बारे में बताया कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपनी सजा आधी या आधी से ज्यादा काट ली है, संगीन अपराध के अभियुक्त हैं लेकिन लम्बे समय से विचाराधीन हैं या छोटे-मोटे अपराध के आरोपी हैं और जिन्हें अभिरक्षा में रखने की जरूरत नहीं हैं, उनके बारे में बैठक आयोजित कर तथा सभी सदस्यों के साथ विचार -विमर्श कर उन्हें छोड दिया जाता है। उन्होंने आवधिक समीक्षा समिति की उपयोगिता और इसे मजबूत करने में पैरा-लीगल सहायकों की भूमिका को रेखांकित किया। श्री मुकेश जी ने सीएचआरआई द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त प्रोफॉर्मा की प्रशंसा की।

n|l jk fnu 'kfuokj 5 vDV|cj 2013

बंदियों के भरपूर उत्साह के कारण प्रथम दिन शाम **6** बजे प्रोग्राम समाप्त हुआ और दूसरे दिन **12** बजे की जगह कार्यक्रम की शुरूआत सवेरे 10.30 बजे की गयी। दूसरे दिन की चर्चा जमानत**,** सोदा अभिवाक पैरोल एवं रेमिसन पर हुई। अधिवक्ता श्री अजय वर्मा द्वारा प्रथम दिन का संक्षेप में विवरण दिया गया।

तत्पश्चात श्री महेश बोहरा जी पधारे एवं उन्होंने समझाया कि पैरालीगल वॉलिन्टियर को किस प्रकार जमानत के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या होते हैं। उन्होंने धारा **436,436** ए**, 167** के बारे में बताया। अधिवक्ता श्री महेश को बंदियों ने पूरा सहयोग दिया और उन्होंने जिज्ञासापूर्वक उनसे अपनी समस्याओ का समाधान भी पूछा।

अजय वर्मा ओर महेश बोड़ा ने पैरोल के बारे में काफी चर्चा की। बोड़ा जी ने बंदियों को पैरोल पर दिये गये हाईकोर्ट के उस निर्णय के बारे में बताया जिसे मुकदमे के तौर पर उन्होंने खुद लड़ा था। बंदियो ने हरियाणा पैरोल रूल्स के राजस्थान में लागू होने के बारे में बात की। इसके बाद श्री राकेश मोहन शर्मा जी आये। उन्होंने भी पेरोल और खुली जेल के बारे में पैरा लीगल बंदियों को बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि जब उनके सामने पैरोल की याचिका आती है तो पैरोल पर छोड़ने का निर्णय देने के समय उनके सामने कैसी कहानी आती है। उन्होंने यह भी बताया कि पैरोल याचिका भरने के समय लोग क्या-क्या गलतियां करते हैं। अन्त में उन्होंने यह कहा कि आप लोगो को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करना है। शर्मा जी ने पैरा-लीगल को सतर्क किया कि अगर वे इस काम को करते हुए इसका दुरूपयोग करेंगे तो उन्हें फिर कभी इस तरह का काम करने का अवसर नही मिलेगा

rhljk fnu jfookj 6 vDVcj 2013

कार्यक्रम के आखरी दिन की शुरूआत सवेरे **10.30** बजे हुई राजा बग्गा ने बंदियों को स्वाधिकार के बारे में बताया। स्वाधिकार जोधपुर सेन्ट्रल जेल में सी.एच.आर.आई की लीगल एड क्लिनिक है जिसमें अगस्त **2012** से हर शनिवार सी.एच.आर.आई के वकील जाते हैं और बंदियों से वार्तालाप करके उनके केस के बारे में जानकारी लेते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी बंदी के पास वकील ना हो तो वे डी.एल.एस.ए को प्रार्थना पत्र भेज देते हैं, उनके लिये याचिका डालते हैं और अन्य विधिक विषयों का भी समाधान करते है । उन्होंने बताया कि वार्तालाप के दौरान जेल में उन्होंने किशोर बंदी को देखा और उसके लिये जे.जे.बी के अध्यक्ष को चिट्ठी/याचिका लिखी और फिर पैरा-लीगल को समझाया कि ऐसी याचिका कैसे लिखनी होती है।

रंजनासिंह मेडतिया ने बंदियों को स्वाधिकार के साक्षात्कार प्रारूप को भरना सिखाया। लक्ष्मी रामावत ने बताया कि स्वाधिकार के द्वारा बंदियो के परिवार वालों को वे चिट्ठियां लिखती और फोन करती हैं और बंदियों को बताया कि उनके परिवार को चिटठी किस प्रकार लिखी जाती है। उन्होंने अपील ड्राफ्टिंग और रेफरल के बारे में भी बताया । श्रीमती लक्ष्मी रामावत ने बताया कि बंदियों के परिजन तथा वकीलों से किस प्रकार सम्पर्क करना है। रंजनासिंह मेडतिया ने स्वाधिकार के तहत ही पालनहार योजना के बारे में भी बताया। । उन्होंने बताया कि यदि चालान 60-90 दिन के भीतर पेश नहीं किया गया है तो जमानत का अधिकार बंदी को प्राप्त हो जाता है।

इसके बाद अजय वर्मा ने फिर से जमानत के बारे में चर्चा जारी रखी तथा बंदियों को जमानत याचिका बनाने को कहा और उन्हें सिखाया कि याचिकाएं कैसे बनाई जाती हैं। अंत में श्री राकेश मोहन जी ने सीएचआरआई को धन्यवाद ज्ञापित किया और इस कार्यक्रम की ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिये एक और कार्यक्रम रखने की बात कही।

कार्यक्रम के इन पूरे तीनों दिन बंशी, परीक्षित, भंवरलाल, हर्षवर्धन, प्रागाराम, भैरूसिंह जी ने अत्यंत उत्साह-पूर्वक भागीदार की और कार्य करने का वचन दिया। बंदी भवंरलाल ने कहा कि पिछले **22** वर्षों से वह जेल में है और उसने इस प्रकार का कार्यक्रम आज दिन तक नहीं देखा था। उसने कहा कि इस कार्यक्रम से उसे कानून के बारे में अत्यधिक जानकारी हुई है। कार्यक्रम का समापन शाम **6** बजे हुआ। हमें उम्मीद है कि अपनी इस पहल से हम पैरा-लीगल्स को सक्षम बना पायेंगे ओर वे अपनी अथवा दूसरे बंदियो के अधिकारों की रक्षा कर पायेंगे।

कार्यशाला

List of Participants

S.no.	Name of the participants
1	Laxman Mali
2	Deepak Beniwal
3	Ghanshyam Singh
4	Sanjay Singh
5	Banwari Lal
6	Banshi lal
7	Machalal
8	Anoparam
9	Parikshit Bharti
10	Bheru Singh
11	Mahendra Rawal
12	Pragaram Sen, S/o Dugraji
13	Saukat Ali
14	Narayanlal S/o- Dhannaram
15	Laxman Singh
16	Mudassir Khan
17	Harshvardhan Singh
18	Harpal Singh
19	Inderjeet Singh

ABOUT CHRI

The Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) is an independent, non-partisan, international non-governmental organisation, mandated to ensure the practical realisation of human rights in the countries of the Commonwealth. CHRI's objectives are to promote awareness of and adherence to the Harare Commonwealth Declaration, the Universal Declaration of Human Rights, and other internationally recognised human rights instruments, as well as domestic instruments supporting human rights in Commonwealth member states.

The Prison Reform Programme of CHRI is focused on increasing transparency of a traditionally closed system and exposing malpractice. The programme aims to improve prison conditions, reform prison management, enhance accountability and foster an attitude of cooperation between the various agencies of the criminal justice system in place of the prevailing indifference and discrimination. It seeks to achieve its goals through research, legal analysis and advice, advocacy, capacity building, network building and conference facilitation.